

सं.-25(52)/2016/RTI/57

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन- 0512-2570542

कानपुर,दिनांक- 31.5.2016

फैक्स- 0512-2570247

सेवा में,

श्री उमेश कुमार महिलानी,
निवासी- गांव हिर्री,
डाकखाना- गोदाम,
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ पिन-496450

जारी

संख्या- 0132813

दिनांक- 06/06/16

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपका Online RTI Application दिनांक 23.3.2016, इस संस्थान में मंत्रालय के शर्करा प्रशासन अनुभाग के पत्र संख्या I-12011/1/2016 श. प्र., दिनांक 28.4.2016 द्वारा दिनांक 05.5.2016 को प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिजर्वेशन रोस्टर्स के सम्बन्ध में सूचना वांछित है। इस सन्दर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि संस्थान से सम्बंधित रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर की छायाप्रति (कुल 235 पृष्ठ) आपको जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क Rs. 2/- प्रति पृष्ठ की दर से कुल 235 पृष्ठों का शुल्क रुपये 470/- संस्थान के कोषागार में किसी भी कार्यदिवस पर कैश अनुभाग में जमा कर उचित रसीद अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर, जोकि कानपुर में देय हो,के माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित कर प्राप्त कर सकते हैं।

इसके साथ ही आपके द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचनाओं के सन्दर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि संस्थान से सम्बंधित रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर का रखरखाव Register (Hard Copy) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार (Soft Copy) से नहीं किया जाता है। अतः Soft Copy से सम्बंधित वांछित सूचना NIL मानी जाए।

भवदीय

(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रति -

श्री मनोज शर्मा,

जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (शर्करा प्रशासन)
कृषि भवन, नई दिल्ली

06/06/16